पंजीकृत

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 2593 / VII-1 / 06 / 24–रिट / 2006
देहरादून : दिनांकः 20, जून, 2006

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील–बागेश्वर के ग्राम कुनौली सुनेड़ा आदि में 8.38 वर्ग किमी0 क्षेत्र में सोपस्टोन के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अन्तर्गत आवेदक श्री गगनदीप आनन्द पुत्र प्रीतिपाल सिंह, निवासी सी / 35, न्यू फ्रैण्ड्स कालोनी, दिल्ली ने दिनांक 16.8.1995 को जिलाधिकारी, बागेश्वर कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक द्वारा अपना उक्त आवेदन पत्र अपूर्ण दस्तावेजों के साथ किया गया। आवेदक को उनके आवेदित क्षेत्र से सम्बन्धित भूकर मानचित्र, खसरा, खतौनी, 1893 की विज्ञप्ति का अभिलेख व भूमिधरों की सहमति आदि अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को उप जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा दिनांक 19.10.2001 को पंजीकृत डाक से सूचना प्रसारित की गयी परन्तु आवेदक के स्तर से न कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई प्रत्युत्तर ही दिया है।

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को निरस्त करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर (अधिकतम एक माह) दिये जाने का प्राविधान है, जो कार्यवाही जिलाधिकारी, बागेश्वर स्तर से पूर्व की गयी, को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्याः 759 / सात / 04 / 120–ख / 04; दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 के माध्यम से आवेदक श्री गगनदीप आनन्द पुत्र श्री प्रीतिपाल सिंह के उक्त आवेदन पत्र दिनांक 16.8.1995 को निरस्त कर दिया। उक्त शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 के अनुपालन में जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा विज्ञप्ति संख्याः 306 / तीस–खनन / 2004–05; दिनांक 22 जनवरी, 2005 के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति / संस्थाओं को उक्त क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए।

उक्त निर्णयों को चुनौती देते हुए जसदीप कौर व तीन अन्य द्वारा रिट याचिका संख्याः 253(एम / बी) / 2006 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका दायर की गयी। उक्त वाद के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय की मा0 डिविजन बेंच के अन्तरिम आदेश दिनांक 10.3.2006 द्वारा याचीगण को नोटिस के संदर्भ में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.3.2006 से एक माह का समय दिया गया परन्तु श्री गगनदीप आनन्द द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10.3.2006 द्वारा दी गयी एक माह की समयसीमा जो कि 09.4.2006 को समाप्त हो गयी, तक वांछित अभिलेख जिलाधिकारी कार्यालय, बागेश्वर या शासन में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः श्री गगनदीप आनन्द पुत्र श्री प्रीतिपाल सिंह के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र दिनांक 16.8.1995 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.3.2006 के अनुरूप आदेश के दिनांक से एक माह की अवधि में उनके आवेदन पत्र दिनांक 16.8.1995 में पायी गयी कमियों का निराकरण न करने के कारण एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

19/6

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2593 (1)VII-1 / 06 / 24–रिट / 2006, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्री गगनदीप आनन्द पुत्र प्रीतिपाल सिंह, निवासी सी / 35, न्यू फ्रैण्ड्स कालोनी, दिल्ली।
5. रक्षित पत्रावली.

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।